न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-356RAAJodhpur2022-133RTA223 Ramaram ors Vs Chunnibai etc

1. रामाराम पुत्र गोरधनराम पटेल,
2. कानाराम पुत्र गोरधनराम पटेल,
   जातियान् पटेल, निवासीगण– ग्राम मोगड़ा कलां, तहसील लूणी,
   जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. चुन्नीबाई पत्नी श्री हरीराराम पुत्री गोरधनराम
2. चम्पोदेवी पत्नी श्री बालाराम पुत्री गोरधनराम
   दोनो जातियान् पटेल, निवासीगण– ग्राम मोगड़ा कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जून 2022 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 111/2015 चुनीबाई बनाम रामाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री सूर्यप्रकाश पंवार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री जगदीश प्रजापत, श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 05 फरवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 111/2015 अनवान चुनीबाई बनाम रामाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 10 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 12 रकबा 103 बीघा, खसरा नं. 12/2 रकबा 19.10 बीघा, खसरा नं. 80 रकबा 32 बीघा, खसरा नं. 239 रकबा 07.09 बीघा, खसरा नं. 239/1 रकबा 07.04 बीघा ग्राम मोगड़ा कलां तहसील लूणी के संबंध धारा 88 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29 मार्च 2012 को वाद स्वीकार कर लिया गया। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय एंव डिक्री के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर रिमाण्ड की गई। अदालत हाजा के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा अदालत हाजा के निर्णय की पुष्टि की गई। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण दिनांक 06 जून 2022 को स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर उभय पक्षकारान् को अपना पक्ष रखने, साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो. द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय मण्डल द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण की सूचना अपीलांट्स को दिये बिना तथा अपीलांट्स को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। विचारण न्यायालय में दिनांक 04 मई 2022 को पत्रावली वादी की साक्ष्य में मुकर्रर थी, जिसकी आगामी पेशी दिनांक 11.05.2022 को साक्ष्य वादी में अंतिम अवसर दते हुए पेशी दिनांक 25.05.2022 को रखी गई, परन्तु इसके पश्चात वादीनी की ओर से शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली में पेशी दिनांक 15.05.2022 मुकर्रर की गई तथा उक्त पेशी पर वादीनी की साक्ष्य बंद कर दी गई व प्रतिवादी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साक्ष्य हेतु पेशी दिनांक 23.05.2022 को मुकर्रर की गई। वाद सूची में मामले में आगामी पेशीया दिनांक 06.06.2022 एवं 10.06.2022 एवं 03.08.2022 मुकर्ररर की गई। यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली में दिनांक 06.06.2022 की आज्ञासूची में पत्रावली को निर्णित बाता दिया गया, जिसके अनुसार प्रतिवादी की साक्ष्य बंद कर दी गई व वादीनी का वाद डिक्री कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को केवल एक मौका देकर उसकी साक्ष्य बंद कर दी गई तथा जल्दबाजी मे निर्णय पारित कर दिया गया। न्यायालय की वाद सूची में तो दिनांक 06.06.2022 से आगामी पेशी 10.06.2022 देना दर्ज है व दिनांक 10.06.2022 की आज्ञा सूची में 03.08.2022 अंकित है, जिससे यह साबित है कि पत्रावली में निर्णय किये जाने का अंकन नहीं है। इसके बावजूद भी वाद का निर्णय दिनांक 06.06.2022 को करना बता दिया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय की कॉज–लिस्ट में मामले में बहस हेतु आगामी पेशी दिनांक 03.08.2022 नियत की गई है जो कॉज–लिस्ट के अवलोकन से स्पष्ट है। अपीलार्थी दिनांक 03.08.2022 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तो बताया गया कि दिनांक 06.06.2022 को निर्णय पारित कर दिया गया है। तब अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 05.08.2022 को प्राप्त हुई, जिसे पढाने पर प्रथम बार अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। इससें पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 111/2015 अनवान चुनीबाई बनाम रामाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जून 2022 को खारिज फरमाया जावे एवं वादीनी के वाद को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीनी की पैतृक भूमि है, जिसमें वादीनी के पिता का 1/2 हिस्सा दर्ज है। वादीनी एवं प्रतिवादीगण सहित चार भाई–बहिन है, जिससे वादग्रस्त आराजी में वादीनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रतिप्रेषित प्रकरण में उभय पक्ष को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये जाने के बावजूद भी अपीलांट्स की ओर से कोई चाराजोही नहीं की गई। विचारण न्यायायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत अपीलांट्स को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुति के पर्याप्त अवसर प्रदान किय गये। अपीलांट इस बात को भी नहीं नकार रहे है कि वादीनी उसकी बहन नहीं है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी वादीनी की पुश्तैनी भूमि होने से उमसें वादीनी का 1/4 पैतृक हिस्सा निहित है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का भी कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 03 अगस्त 2015 एवं अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 17 जून 2013 में प्रदत निर्देशों की पालना में प्रतिप्रेषित प्रकरण विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2015 को पुन संस्थित किया गया। प्रकरण में अपीलांट्स/प्रतिवादी को वादीनी से जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा जिरह नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2022 को वादी की साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली को प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु मुकर्रर किया गया। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06 जून 2022 को प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की जाकर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रालवी पर उपलब्ध अभिलेख प्रदर्श–5 खेवट खतौनी ग्राम मोगड़ा कल्लां तहसील जोधपुर संवतः 2034–2037 तथा तत्पश्चात की जमाबंदियों के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में वादीनी के पिता गोरधन वल्द नेमा पिटल के नाम दर्ज रहने से उसकी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। वादग्रस्त आराजी वादीनी की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि होने से उसमें वादीनी का अपने भाईयों के साथ कानूनन पुश्तैनी हक–हिस्सा बनता है। अपीलांट्स द्वारा इस तथ्य कभी खण्डन नहीं किया गया है कि वादीनी उनकी बहन नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी की ओर से प्रस्तुत सजरा खानदान का स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व प्रदत निर्देशों की पालना में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मामले का तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीनी को वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिनुसार पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 111/2015 अनवान चुनीबाई बनाम रामाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जून 2022 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-356RAAJodhpur2022-133RTA223 Ramaram ors Vs Chunnibai etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. रामाराम पुत्र गोरधनराम पटेल, 02. कानाराम पुत्र गोरधनराम पटेल, जातियान् पटेल, निवासीगण– ग्राम मोगड़ा कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।	**ब ना म**	1. चुन्नीबाई पत्नी श्री हरीराराम पुत्री गोरधनराम 2. चम्पोदेवी पत्नी श्री बालाराम पुत्री गोरधनराम दोनो जातियान् पटेल, निवासीगण– ग्राम मोगड़ा कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जून 2022 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 111/2015 चुनीबाई बनाम रामाराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 05 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री सूर्यप्रकाश पंवार मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री जगदीश प्रजापत, श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 111/2015 अनवान चुनीबाई बनाम रामाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जून 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 05 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील		1. स्टाम्प वकलातनामा	

2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान		2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर